प्रारूप – 2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक / 9963-69 / 2015–16 दिनांक – 09/02/16

प्रबन्धक,
ब्लूमिंग बड्स पब्लिक स्कूल
स्टेशन रोड़ मेला बाग
न0क्षे0 शिकोहाबाद

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 4443–49 / 2012–13 दिनांक 31.07.2012 के द्वारा आपके विद्यालय को तीन वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 30.06.2016 तक आपके विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी। निरीक्षक अधिकारी की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय को समस्त मानकों के अनुरूप पाया गया। आपके विद्यालय के द्वारा समस्त मानक पूर्ण करने के फलस्वरूप, मै **ब्लूमिंग बड्स पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, मेला बाग, नगर क्षेत्र शिकोहाबाद** को तारीख **01–07–2015** से कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **08** तक के लिये **अंग्रेजी माध्यम** से दी गई अन्तिम मान्यता को अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पशचात् मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समुहों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित क्रिया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

   प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा :

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **161109** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

सलंग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

09/02/16

(बालमुकुन्द प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।

पृ0सं0 / मान्यता / / 2015–16 दिनांक –

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. शिक्षा निदेशक(बे0) उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
02. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0) आगरा।
04. समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी /अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
06. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
07. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।